# m0i0 jkT; vkS|kfud lgdkjh foi.ku l?k ¼gkQM½

18–बी अशोक मार्ग, लखनऊ

## <u>ifjp;</u>

प्रदेश के औद्यानिकी उत्पादकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म के फल एवं सब्जी उचित मूल्य पर सुलभ कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत औद्यानिक सहकारी समितियों की शीर्षस्थ संस्था के रूप में ''उत्तर प्रदेश राज्य हार्टीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि0'' के नाम से निबन्धक, औद्यानिक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1992 को उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड) का गठन किया गया है।

QMjs'ku ds eq[; mn~ns'; %&

(क) eq[; mn~ns'; %

(1) औद्यानिक उत्पाद और उसके प्रसंस्कृत उत्पादों का विपणन कुशलता पूर्वक, प्रबन्ध करके औद्यानिक कृषकों का आर्थिक विकास करने हेतु क्रिया कलाप संचालित करना।

(2) औद्यानिक उत्पादों तथा उसके प्रसंस्कृत उत्पादों के उत्पादन के उपलब्धि एवं उपार्जन के उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाया और औद्यानिक कृषकों का सम्बन्ध औद्यानिक संघों के माध्यम से आर्थिक विकास करना।

(ख) <u>xkS.k mn~ns';</u> % विशेषतः और बिना पूर्वागृह के सामान्यतया दूरगामी उद्देश्यः–

(1) सामग्री या अन्य उत्पादों का सदस्यों से या अन्य श्रोतों से उपार्जन और क्रय करना, एकत्र करना, निर्मित करना, वितरित करना और उसे बेचना और इसके लिये औद्यानिक संघों के लिये संसाधन स्थापित करना।

(2) पौधरक्षा सम्बन्धी सहायता तथा अन्य सम्बन्धित क्रिया कलाप सुलभ कराना, ताकि फल स्वास्थ की देख–रेख और केन्द्रीय निवेश से सम्बन्धित रोग नियन्त्रण सुविधाओं से सुधार हो सके।

(3) सामग्री के प्रबन्ध, अनुसंधान संस्थापना एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण गठित करना।

(4) अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रोत्साहन एवं कार्यक्रम संचालित करना।

(5) प्रोत्साहन के माध्यम से प्रारम्भिक सहकारी समितियां के गठन की प्रोन्नति के नियम अग्रसर रहना तथा उनके बीच सम्मान तथा सहयोग के सिद्धान्त एवं व्यवहार का प्रचार करना तथा विशेष तौर से इस व्यवसाय के विषय में तकनीकी ज्ञान कराना।

(6) सदस्य संघों को तकनीकी, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त करार में प्रविष्ट करना।

(7) जब कहीं और जहाँ कहीं आवश्यक हो, सदस्य संघों को नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण और औद्यानिक उत्पादन की सम्भावना का पता लगाने में सहायता करना।

(8) सदस्य संघों को निर्माणशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थल चयन करने में सहयोग करना।

(9) प्रबन्ध के समस्त क्षेत्रों में व्यवसाय के संचालन पर्यवेक्षण एवं सम्प्रेक्षण कार्यो में सदस्य संघों को सलाह, पथ प्रदर्शन, सहायता प्रदान करना एवं नियंत्रण करना।

(10) समितियों के संग्रह, उठान यातायात की व्यवस्था करना।

(11) ऐसी शर्तो जैसी की परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित करें, औद्यानिक/एवं अन्य उत्पादों के विपणन हेतु गैर सदस्यों से लेन–देन करना।

(12) फेडरेशन द्वारा निर्धारित मानकों इत्यादि पर गुणवत्ता स्तर का निर्धारण करना एवं उसे लागू करना।

(13) संघ के तथा सदस्य संगठनों के व्यवसाय हेतु भवन क्रय करना या संयत्र मशीने और अन्य सहकारी उपकरण खरीदना।

(14) औद्यानिक और उनके सहकारी उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण एवं विपणन से सम्बन्धित समस्याओं के पारस्परिक संबन्धों का अध्ययन करना।

(15) अन्य संगठनों के साथ शोध करना।

(16) सदस्य संघों एवं सम्बद्ध समितियों के उत्पादक सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सुझाना।

(17) विपणन अनुसंधान संचालित करना।

(18) फेडरेशन तथा सदस्य संघों के सब प्रकार से लाभ के दृष्टिकोण से उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाना।

(19) फेडरेशन तथा सदस्य संघों के उत्पादन संरचना की योजना तथा संरक्षण की मात्रा बढ़ाने का कार्यक्रम और प्रभावी विपणन की व्यवस्था करना।

(20) औद्यानिक एवं एलाइड उत्पादों के यातायात तथा भण्डारण की व्यवस्था करना।

(21) सदस्य संगठनों से सम्बद्ध समितियों के उत्पादक सदस्यों द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पौध इत्यादि क्रय में सहायता करना।

(22) फैडरेशन की चल एवं अचल सम्पत्ति का हर प्रकार के खतरे से बचाव करना।

(23) सामग्री को खरीदने, पैकिंग का सामान खरीदने आदि में सहायता करना और किसी के सहयोग से सामग्री का उत्पादन, यदि आवश्यक हो।

(24) समस्त सदस्य संघों और समितियां के स्टाफ को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करना।

(25) अपने व्यापारिक चिन्ह के अधीन अथवा संयुक्त एकल ब्राण्ड नाम व्यापारिक नाम से उत्पादों को बाजार में लाना।

(26) औद्यानिक और सहकारी (सोसाइटी) उत्पादों को निर्यात करना।

(क) लक्ष्य निर्धारण, मूल्य नीति, सार्वजनिक सम्बन्ध और सहकारी पदार्थो में सदस्य संघों को सलाह देना।

(ख) परामर्श दात्री इकाई का कार्य करना।

(ग) अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ट्रस्ट एवं फण्ड स्थापित करना।

(घ) अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना करना जो अपने फण्ड में अंशदान हेतु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो और सदस्य संगठनों से ऐसे फण्ड लेने हेतु स्वतंत्र हो।

(च) औद्यानिक संघों के प्रशासक के रूप में कार्य करना और यदि जैसा निबन्धक द्वारा नियुक्त किया गया हो, अथवा किसी औद्यानिक संघों के प्रबन्ध को उसमें, अनुरोध पर हस्तगत करना।

(छ) फैडरेशन के व्यवस्था हेतु चल अथवा अचल सम्पत्ति का स्वामित्व लेना, रखना पट्टे, पर या किराये पर लेना तथा यदि व्यवसाय हेतु आवश्यक न हो तो उसका निस्तारण करना।

(ज) सदस्य संघों या उनके सदस्यों के द्वारा अन्य नये उत्पाद उगाने को प्रोत्साहन देना।

(झ) थ्रिप्ट की योजना तैयार करना और प्रोत्साहित करना।

(ट) थ्रिप्ट को प्रोत्साहन, स्वयं सहायता और सदस्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन करना।

(ठ) सदस्य संघों के सामान्य हितों के मामलों हो हस्तगत करना।

(ड) फेडरेशन के उद्‌देश्यों एवं क्रिया कलापों के प्रचार का कार्य करना।

(ढ़) औद्यानिक संघों और प्रारम्भिक औद्यानिक सहकारी समितियों के सन्दर्भ में धारा–123 के अन्तर्गत सहकारी संघीय प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर उनके पर्यवेक्षण और उनके लिये पर्यवेक्षण शुल्क निर्धारित करना तथा संग्रह की ऐसी दर पर जैसा कि निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो।

(ण) सम्बद्ध सदस्य संघों का समयबद्ध पर्यवेक्षण करना। किसी सदस्य संघ के संचालन की संस्तुति का अधिकार भी फेडरेशन का होगा।

(त) अधिनियम, नियम तथा विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना सदस्य संघ में दूसरे स्थान के लिये एक पूल या अधिकारियों का एक समूह बनाए रखना।

(थ) सामान्य तौर पर वह सब करना जो फेडरेशन के किसी लक्ष्य या उद्‌देश्य की पूर्ति करने के लिये उचित या उसकी ओर प्रवृत्त करने वाला हो।

## foi.ku@fu;kr ikRlkgu gr| j.kuhfr

हॉफेड द्वारा प्रदेश के औद्यानिक उत्पादकों को औद्यानिक सहकारी समितियों के रूप में संगठित कर उन्हीं के द्वारा उनके औद्यानिक उत्पादों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है :–

- आम, आलू एवं अन्य औद्यानिक उत्पादों का औद्यानिक सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन प्रोत्साहन
- विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम
- कृषि निवेश (सब्जी, मशाला एवं पुष्प बीज तथा जैव उर्वरक) आपूर्ति योजना
- फार्म 'ओ' (अधिकार पत्र) उपलब्ध कराना
- हाफेड की सदस्यता

## in'k e vk|kfud lgdkjh lfefr;k dh orleku fLFkfr

प्राथमिक औद्यानिक उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीकरण का अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान निदेशालय, 02 सप्रू मार्ग, लखनऊ में निहित है, जो निबन्धक, सहकारी समितियां (औद्यानिकी) के रूप में पंजीकरण करने हेतु अधिकृत हैं। प्रदेश में अब तक लगभग कुल 899 औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियॉ तथा 11 जिला औद्यानिक संघ पंजीकृत हैं :–

| lfefr;k dk idkj | in'k e dy ithdr | gkQM dh lnL;rk ikIr |
|---|---|---|
| जिला औद्यानिक संघ | 11 | 08 |
| औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति | 899 | 493 |
| ;kx | 910 | 501 |

# dkfeZdksa dk fooj.k

| Øl0 | Ukke | inuke | orZeku nkf;Ro | lEidZ uEcj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी | प्रबन्ध निदेशक | समस्त कार्य | 0522–2230946, 2230312 |
| 2. | श्री आर. के. तोमर | महा प्रबन्धक | समस्त कार्य | 9415520162 |
| 3. | श्री राजदेव राम | प्रबन्धक | सहकारिता विकास एवं उपार्जन /प्रशासन | 9451952261 |
| 4. | श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव | प्रबन्धक (विपणन) | मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति | 9415082885 |
| 5. | श्री शैलेन्द्र कुमार सुमन | सहायक प्रबन्धक/ जन सूचना अधिकारी | विपणन अनुभाग | 9451387477 |
| 6. | श्री अशोक कुमार चौबे | लेखाधिकारी | लेखा/वित्त | 9453957568 |
| 7. | श्री राजीव कुमार द्विवेदी | विपणन विकास अधिकारी सहा0जन सूचना अधिकारी | उपार्जन एवं सहकारिता | 9935359044 |
| 8. | श्री संतोष कुमार द्विवेदी | विपणन विकास अधिकारी | विपणन–1 | 8604627624 |
| 9. | श्री बिन्दु सागर | विपणन विकास अधिकारी | विपणन–2 | 8604004774 |
| 10. | श्री प्रवीन कुमार साहू | डाटा इन्ट्री आपरेटर | लेखा/वित्त | 9451711753 |
| 11. | श्री मो0 इद्रीश | लिपिक/टंकक | मा0 सभापति कैम्प | 9415911788 |
| 12. | श्री श्रीधर भटनागर | लिपिक/टंकक | लेखा/वित्त | 9450838183 |
| 13. | श्री रामकेश | लिपिक/टंकक | विपणन–1 | 9936176484 |
| 14. | श्री तारा सिंह बिष्ट | लिपिक/टंकक | विपणन अनुभाग | 9453134135 |
| 15. | श्री अजय कुमार मिश्रा | लिपिक/टंकक | उपार्जन एवं सहकारिता | 9532970688 |
| 16. | श्री सुशील कुमार | लिपिक/टंकक | अधिष्ठान एवं नजारत | 7275940528 |
| 17. | श्री राकेश कुमार | चालक | अम्बेसडर | 9648920959 |
| 18. | श्री एजाज अहमद | चालक | जिप्सी | 9335585938 |
| 19. | श्री मोहन सिंह लटवाल | परिचारक | – | 9044089856 |
| 20. | श्री मोहन सिंह नेगी | परिचारक | – | 9889123835 |
| 21. | श्री अब्दुल खालिक | परिचारक | – | 7785974959 |
| 22. | श्री सदानन्द | परिचारक | – | 8853800403 |


कार्यालय का पता –

m0iz0 jkT; vkS|kfud lgdkjh foi.ku la?k ¼gkWQsM½

18–बी अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

दूरभाष–0522–2230946, 2230312 फैक्स–2286942 ईमेल : hofed.org@rediffmail.com